

कार्यालय कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग

प्र0क्र0 44 अ-82/17-18/ ब्राह्मणवाड़ा/

5176

बैतूल दिनांक 30-05-2019

घोषणा

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का क्षेत्रफल(हे0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	आमला	ब्राह्मणवाड़ा	1.100	ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	322/1	0.141	0.056	आल्हा, लखन वल्द देवजी, सरस्वती, अम्बा, सुमित्रा, पिता देवाजी सा.देह भूमि स्वामी
2	322/2	0.709	0.056	नान्ही पिता बाबुलाल जाति पवार सा. चन्दोराखुर्द
3	323/1	0.482	0.046	मनीष वल्द नन्दलाल कायस्थ सा.देह तिरपती नगर महाराष्ट्र भूमि स्वामी
4	323/2	0.481	0.046	धुडिया उर्फ साहेबलाल वल्द खुशयाल जाति पवार सा.देह भूमि स्वामी
5	213	1.643	0.325	हेमराज वल्द रावजी, सुन्दर, शांता, नन्हिया, दुर्गा पिता रावजी पुर्णा पिता रावजी पता सा.देह भूमि स्वामी
6	214	1.327	0.116	विजय, विनोद वल्द अमीलाल, अनिता ममता पिता अमीलाल जाति गोड़ सा.देह
7	209/1	1.689	0.118	भीमराव वल्द श्यामराव जाति पवार सा. देह भूमि स्वामी
8	209/2	1.690	0.119	अर्जुन पिता श्यामराव जाति पवार सा0देह
9	208/1	1.160	0.109	अशोक वल्द आशाराम जाति भोयर सा0देह
10	208/2	1.160	0.109	मधु वल्द आशाराम जाति भोयर सा0देह
योग		10.482	1.100	

ORP

- (2) चूंकि ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार ,

JRP


(तरूण कुमार पिथोड़े)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

पृ0क0 44 अ-82/17-18/ब्राम्हणवाड़ा/
प्रतिलिपि:-

5/76

बैतूल दिनांक 30-5-2019

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई .सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन आई सी) बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट **www. betul.nic.in** पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार आमला की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत ब्राह्मणवाड़ा तहसील आमला जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।



अपर कलेक्टर एवं
प्र0अ0भू-अर्जन शाखा बैतूल

